गृह मंत्रालय

(कार्मिक श्रीर प्रशासनिक सुधार विभाग)

नर्ह दिल्ली, 1 नवम्बर, 1977

का० आ० 3573.—राष्ट्रपति, संविधात के ध्रतुच्छेद 309 के त्तुक भ्रीर श्रतुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय निवल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण भीर अपील) नियम, 1965 में भीर संशोधन करने के लिए निस्नलिखित नियम बनाते हैं, भर्थान :—

- (1) इन नियमों का नाम ्लेन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और प्रपील) डितीय संशोधन नियम, 1977 है।
 - ् (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रयुत्तः होगे।
- 2. केन्द्रीय मिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंद्रण घोर घपील) नियम, 1965 में, नियम 12 में उपनियम (4) में खण्ड (ख) के नीचे के स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण II, के छप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा घोर इस प्रकार पुनः संख्यांकित सण्टीकरण में पूर्व निम्नलियित खण्ड घोर स्पष्टीकरण घनतः स्थापित किया जाएगा, धर्यान्:—
 - "(ग) लाल बहादुर मास्त्री राष्ट्रीय प्रमासन प्रकादमी में प्रमिक्षण प्राप्त कर रहे परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की बावन उक्त प्रकादमी का निदेशक नियम 16 में प्रधिकथिन प्रत्रिया का प्रन्यालन करने के पण्चात् नियम 11 के खण्ड (i) भीर (iii) में विनिदिष्ट मिक्तियों में से कोई मिक्ति मधिरोपिन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

स्यंश्टीकरण — 1: खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए परिविक्ताधीन व्यक्ति से केन्द्रीय सिविल सेवा में परीवीक्षा पर नियुक्त स्यिक्त समिप्रेस है।"

[सं॰ 11012/2/76-स्पा॰ (ए॰)]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 1st November, 1977

- S.O. 3573.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309, and clause (5) of article 148 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, namely:—
 - 1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Second Amendment Rules, 1977.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Guzette.
- 2. In the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, in rule 12, in sub-rule (4), the Ex-

planation under clause (b) shall be renumbered as Explanation II, and before the Explanation shall be inserted, namely:—

- "(c) in respect of a probationer undergoing training at the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration the Director of the said Academy shall be the authority competent to impose on such probationer any of the penalties specified in clauses
- (i) and (iii) of rule 11 after observing the procedure laid down in rule 16.
- Explanation I.—For the purposes of clause (c), probationer means a person appointed to a Central Civil Service on probation."

[No. 11012/2/76-Estt(A)]